

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल-2010—चैत्र 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2522-156-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान-सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अप्रैल, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक १५ अप्रैल, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

(१) धारा ५ में,—

(एक) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(१०-क) “कालोनाइजर” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३

(क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी या रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संस्था जिसमें सम्मिलित है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भूखण्डों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों पर आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय संनिर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(१०-ख) "कालोनी" से अभिप्रेत है, विद्यमान भूखण्ड में से इस प्रकार विभाजित किया गया क्षेत्र जिसमें निवासियों के लिए मूलभूत सेवाओं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, मल-वहन निकासी आदि के उपबंध हों तथा जिसमें सम्मिलित है सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास के अधीन संनिर्माण;"

(दो) खण्ड (२२) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(२२-क) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;"

(तीन) खण्ड (३३) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(३३-क) "निम्न आय वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;"

(चार) खण्ड (५७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(५७-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है धारा १३२-क के अधीन अधिरोपित प्रभार;"

(२) धारा १३२ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(चार) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (६) के खण्ड (ख)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ)" स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १३२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्,—

"१३२-क. (१) धारा १३२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम, किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के, जो कि राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यक्षीय रहते हुए, निम्नलिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उन भूमियों तथा भवनों के संबंध में जल प्रभार, जिन्हें जल प्रदाय निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन प्रभार, जहां कि जल निकास अथवा मलवहन निपटान की प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ग) टोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार, जहां कि निगम ने अपशिष्ट के निपटान की कोई प्रणाली आरम्भ की हो;

(घ) निगम द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार;

उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में—

- (एक) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त हैं, ऐसी दर से जो कि निगम द्वारा अवधारित की जाए;
- (दो) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में यथा अवधारित उपभोक्ता प्रभार और उतना प्रतिशत संपत्ति कर जो कि निगम द्वारा अवधारित किया जाए,

अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन जल उपभोक्ता प्रभार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वामित्व के भवन तथा भूमि पर, उनके जीवन काल के दौरान, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है और जल संयोजन प्रोत्साहन प्रयोजन के लिए है तथा जो आधा इंच संयोजन से अधिक नहीं है.

(३) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम धारा १३६ के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट संपत्तियों पर उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई प्रभार ऐसी दर से अधिक दर पर जिस दर पर कि संबंधित खण्डों के अधीन अन्य संपत्तियों पर ऐसा प्रभार अधिरोपित है, अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे."

(४) धारा २९२-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द "कालोनी" के स्थान पर, शब्द "कालोनी या कालोनियां" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(४) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, नगरपालिका निगम क्षेत्र में एक या एक से अधिक कालोनियां स्थापित करने का पात्र होगा और उसे पृथक् से प्रत्येक कालोनी के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कालोनी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास (ले-आउट) योजना का अनुमोदन तथा अन्य समस्त अनुमोदन पृथकतः अभिप्राप्त करे”.

(५) धारा २९२-ख में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (तीन) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१-क) उपधारा (१) के अधीन विकसित भू-खण्डों या आवासीय मकानों को आरक्षित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू-खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा.”;

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों” के पश्चात्, शब्द “और निम्न आय वर्ग” अंतःस्थापित किए जाएं;

(६) धारा २९२-ग में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का कोई अपराध करेगा या उसके

किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, निगम को प्रतिकर की ऐसी राशि का, भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कालोनी के विकास के लिए उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे, और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.”;

(दो) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(५) जो कोई अवैध संनिर्माण का अपराध करेगा वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.

(६) प्रत्येक कालोनाइजर को संनिर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के क्षेत्र के बारे में जिसमें कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया) सम्मिलित है तथा पच्ची, विवरणिकाओं, होर्डिंगों के रूप में प्रकाशित अपने समस्त विज्ञापनों में कालोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा ग्राहकों को दी जाने वाली समस्त संसूचनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा तथा इसके ऊपर वह उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का सुव्यक्त रूप से उल्लेख करेगा तथा इन उपबंधों का कोई अतिक्रमण ऐसे कालोनाइजरो को उपधारा (३) तथा उपधारा (५) के अधीन दण्ड का भागी बनाएगा.”.

(७) धारा २९२-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में सहयुक्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व.

“२९२-घ क. समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्त पोषक (फाइनेंसर), जो अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त हैं जो ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिए समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा २९२-ग के उपबंधों के अधीन दण्डित किए जाएंगे.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (५-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(५-ख) “कालोनाइजर” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटी या रजिस्ट्रार, सहकारी-सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या अन्य कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था जिसमें सम्मिलित है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कृषि भूमि सहित किसी अन्य भूमि को भूखण्डों या समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) में विभाजित करने के प्रयोजन से उस क्षेत्र का विकास करते हुए कालोनी की स्थापना का काम हाथ में लेने का आशय रखता है और ऐसे भूखण्डों को आवासीय या गैर आवासीय या संयुक्त आवासीय का निर्माण कर बसने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों को अंतरित करने का आशय रखता है और जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(५-ग) "कालोनी" से अभिप्रेत है, विद्यमान भूखण्ड में से इस प्रकार विभाजित किया गया क्षेत्र जिसमें निवासियों के लिए मूलभूत सेवाओं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, मल-वहन निकासी आदि के उपबंध हों जिसमें सम्मिलित हैं सामूहिक आवास तथा संयुक्त आवास के अधीन संनिर्माण;"

(दो) खण्ड (१०-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(१०-ख) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;"

(तीन) खण्ड (१६) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(१६-क) "निम्न आय वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया व्यक्तियों का वर्ग;"

(चार) खण्ड (३७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(३७-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है धारा १२७-ख के अधीन अधिरोपित प्रभार;"

(२) धारा १२७ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (४) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

(चार) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (६) के खण्ड (ख)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (घ)" स्थापित किए जाएं.

(३) धारा १२७-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्,—

"१२७-ख. (१) धारा १२७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् किये गये किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के, जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यक्षीन रहते हुए, निम्नलिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करेगी, अर्थात्:—

उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.

(क) उन भूमियों तथा भवनों के संबंध में जल प्रभार, जिनमें जल प्रदाय परिषद् द्वारा किया जाता है;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन प्रभार, जहां कि जल निकास अथवा मलवहन निपटान की प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ग) ठोस अपशिष्ट के प्रबंध हेतु प्रभार, जहां कि परिषद् ने अपशिष्ट के निपटान की कोई प्रणाली आरम्भ की है;

(घ) परिषद् द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार;

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में—

(एक) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त हैं, ऐसी दर से जो कि परिषद् द्वारा अवधारित की जाए;

- (दो) उन भवनों और भूमियों पर जो कि संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में यथा अवधारित उपभोक्ता प्रभार और उतना प्रतिशत संपत्ति कर जो कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए,

अधिरूपित किया जाएगा:

परन्तु उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन जल उपभोक्ता प्रभार, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के स्वामित्व के भवन तथा भूमि पर, उनके जीवन काल के दौरान, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है और जल संयोजन घरेलू प्रयोजन के लिए है तथा जो आधा इंच संयोजन से अधिक नहीं है.

- (३) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् धारा १२७-क की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट संपत्तियों पर, या उपधारा (१) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई प्रभार ऐसी दर से अधिक दर पर जिस दर पर कि संबंधित खण्डों के अधीन अन्य संपत्तियों पर ऐसा प्रभार अधिरूपित है, अधिरूपित कर सकेगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे."

- (४) धारा ३३९-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द "कालोनी" के स्थान पर, शब्द "कालोनी या कालोनियां" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत क्षेत्र में एक या एक से अधिक कालोनियां स्थापित करने का पात्र होगा और उसे पृथक् से प्रत्येक कालोनी के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं होगा किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कालोनी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास (ले-आउट) योजना का अनुमोदन तथा अन्य समस्त अनुमोदन पृथकतः अभिप्राप्त करे."

- (५) धारा ३३९-ख में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (तीन) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१-क) उपधारा (१) के अधीन विकसित भू-खण्डों और आवासीय मकानों को आरक्षित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू-खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा."

(तीन) उपधारा (२) में, शब्द "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के पश्चात्, शब्द "और निम्न आय वर्ग" स्थापित किए जाएं;

- (६) धारा ३३९-ग में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कालोनी निर्माण का कोई अपराध करेगा या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात

वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसे किसी अपराध के संबंध में निर्णय पारित करने में न्यायालय, अभियुक्त को, परिषद् को प्रतिकर की ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह ऐसी अवैध कालोनी के विकास के लिए उपगत होने वाली अपेक्षित राशि पर विचार कर लेने के पश्चात् निर्णय में विनिर्दिष्ट करे, और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.”;

(दो) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(५) जो कोई अवैध संनिर्माण का अपराध करेगा वह, कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा.

(६) प्रत्येक कालोनाइजर को संनिर्माण हेतु प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के क्षेत्र के बारे में जिसमें कुर्सी क्षेत्र (कॉरपेट एरिया) सम्मिलित है तथा पर्चों, विवरणिकाओं, होर्डिंगों के रूप में प्रकाशित अपने समस्त विज्ञापनों में कालोनी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा ग्राहकों को दी जाने वाली समस्त संसूचनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा तथा इसके ऊपर वह उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक तथा दिनांक का सुव्यक्त रूप से उल्लेख करेगा तथा इन उपबंधों का कोई अतिक्रमण ऐसे कालोनाइजरो को उपधारा (३) तथा उपधारा (५) के अधीन दण्ड का भागी बनाएगा.”

(७) धारा ३३९-घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३३९-घ क. समस्त निदेशक, संप्रवर्तक तथा वित्तपोषक (फाइनेन्सर), जो अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में ऐसे व्यक्ति के साथ सहयुक्त हैं, जो ऐसे अवैध कालोनी निर्माण या अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, ऐसे अपराध को कारित करने के लिए समान रूप से दायित्वाधीन होंगे तथा धारा ३३९-ग के उपबंधों के अधीन दण्डित किए जाएंगे.”

अवैध कालोनी निर्माण या भूमि के अवैध व्यपवर्तन के कृत्य में सहयुक्त व्यक्तियों के उत्तरदायित्व.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2523-156-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 OF 2010

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th April, 2010.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. Short title.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(No. 23 of 1956)

Amendment to
the Madhya
Pradesh Act No.
23 of 1956.

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 5,—

(i) after clause (10), the following new clauses shall be inserted, namely:—

“(10-a) “colonizer” means Development Authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), any society or co-operative society registered by the Registrar, Firms and Societies or the Registrar, Co-operative Societies or any other registered institution which includes any such person or institution who intends to take up the work of establishment of the colony by developing that area for the purpose of dividing any land, including agricultural land, into plots or group housing and intends to transfer such plots to persons desirous of constructing residential or non-residential or joint residence for inhabitation and who is registered as colonizer by the competent authority under the Act;

(10-b) “colony” means an area so divided from an existing plot, with the provisions of basic services such as road, water, electricity, disposal of sewerage etc. for residents and includes the construction under group housing and joint housing;”;

(ii) after clause (22), the following clause shall be inserted, namely:—

“(22-a) “economically weaker section” means the group of persons so specified by the State Government from time to time;”;

(iii) after clause (33), the following clause shall be inserted, namely:—

“(33-a) “lower income group” means the group of persons so specified by the State Government from time to time;”;

(iv) after clause (57), the following clause shall be inserted, namely:—

“(57-a) “user charges” means the charges imposed under section 132-A;”.

(2) In Section 132,—

(i) in sub-section (1), clause (b) shall be deleted;

(ii) sub-section (4) shall be deleted;

(iii) in sub-section (6), clause (b) shall be deleted;

(iv) in sub-section (10), for the words, brackets, letters and figure “clauses (b), (c) and (d) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (6)”, the words, brackets, letters and figure “clauses (c) and (d) of sub-section (1)” shall be substituted.

(3) After Section 132, the following section shall be inserted, namely:—

“132-A (1) Notwithstanding anything contained in Section 132, the Corporation shall,

Imposition of
user charges.

subject to any general or special order which the State Government may make in this behalf, impose the user charges for the following services, namely:—

- (a) a water charge for provision of water supply in respect of lands and buildings to which a water supply is furnished by Corporation;
 - (b) a drainage or sewerage charge where a system of drainage or sewerage disposal has been introduced;
 - (c) a charge for management of solid waste where the Corporation has introduced a system of disposal of waste;
 - (d) charges for any other specified services rendered by the Corporation.
- (2) The user charges in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) shall be imposed—
- (i) on buildings and lands which are exempted from property tax, at a rate as shall be determined by the Corporation;
 - (ii) on buildings and lands which are not exempted from property tax, as determined in clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) plus such percentage of the property tax, as shall be determined by the Corporation:

Provided that the user charge for water under clause (a) of sub-section (1) shall not be levied on building and land owned by freedom fighter during their life time, if they are exempted from Income Tax and the water connection is for domestic purpose and which does not exceed half inch connection.

- (3) Notwithstanding anything contained in this chapter, the Corporation may impose upon properties specified in clause (a) of Section 136, all or any of the charges specified in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) at a rate, in excess of the rate at which such charge is imposed, on other properties under the respective clauses, as the State Government may, by notification, specify.
- (4) In Section 292-A,—
 - (i) in sub-section (1), in clause (a) for the word “colony”, the words “colony or colonies” shall be substituted;
 - (ii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely :—
 - “(4) Every person who has been issued the Registration Certificate under sub-section (2) shall become eligible to establish one or more colonies in the area of Municipal Corporation and shall not be required to apply for Registration Certificate in respect of every colony separately but it shall be mandatory for such person to obtain approval of layout plans and all other approvals separately from the competent authority in respect of each colony.”
- (5) In Section 292-B,—
 - (i) in sub-section (1), clause (iii) shall be deleted;

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(1-a) In addition to reserving the developed plots or residential houses under sub-section (1), the colonizer shall also reserve at least ten percent fully developed plots of the prescribed size or in alternate offer constructed residential houses in his residential colony for the persons belonging to lower income group.”;

(iii) in sub-section (2), after the word “the economically weaker sections”, the words “ and the lower income group” shall be inserted.

(6) In Section 292-C,-

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) Whoever commits or abets the commission of an offence of illegal diversion or illegal colonization shall be punished with an imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and the Court may in passing the judgment in respect of any such offence order the accused to pay to the corporation, such amount of compensation as specified in the judgment, taking into consideration the amount required to be incurred towards the development of such illegal colony, and such offence shall be a cognizable offence.”;

(ii) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(5) Whoever commits an offence of illegal construction shall be punished with imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and such offence shall be a cognizable offence.

(6) It shall be incumbent upon every colonizer to display correct information, about the area (including the carpet area) of the housing units proposed for construction and facilities to be provided in a colony in all its advertisements published in the form of pamphlets, brochures, hoardings and in all communications to customers and shall explicitly mention the number and date of his Registration Certificate over it, and any violation of these provisions shall make such colonizer liable for punishment under sub-section (3) and sub-section (5).”.

(7) After Section 292-D, the following section shall be inserted, namely:—

“292-DA. All the directors, promoters and financiers associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land along with the person who commits or abets the commission of an offence of such illegal colonization or illegal diversion shall be held equally liable of committing such an offence and shall be punished under the provisions of section 292-C.”.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961.

(No. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In Section 3,—

(i) after clause (5-a), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(5-b) “colonizer” means Development Authority constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), any society or co-operative society registered by the Registrar, Firms

Responsibility of persons associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land.

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

and Societies or the Registrar, Co-operative Societies or any other registered institution which includes any such person or institution who intends to take up the work of establishment of the colony by developing that area for the purpose of dividing any land, including agricultural land, into plots or group housing and intends to transfer such plots to persons desirous of constructing residential or non-residential or joint residence for inhabitation and who is registered as colonizer by the competent authority under the Act;

(5-c) "colony" means an area so divided from an existing plot, with the provisions of basic services such as road, water, electricity, disposal of sewerage etc. for residents and includes the construction under group housing and joint housing;"

(ii) after clause (10-a), the following clause shall be inserted, namely:—

"(10-b) "economically weaker section" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;"

(iii) after clause (16), the following clause shall be inserted, namely:—

"(16-a) "lower income group" means the group of persons so specified by the State Government from time to time;"

(iv) after clause (37), the following clause shall be inserted, namely:—

"(37-a) "user charges" means the charges imposed under Section 127-B;"

(2) In Section 127,—

(i) in sub-section (1), clause (b) shall be deleted;

(ii) sub-section (4) shall be deleted;

(iii) in sub-section (6), clause (b) shall be deleted;

(iv) in sub-section (10), for the words, brackets, letters and figures "clause (b), (c) and (d) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (6)", the words, brackets, letters and figure "clauses (c) and (d) of sub-section (1)" shall be substituted.

(3) After Section 127-A, the following section shall be inserted, namely:—

"127-B. (1) Notwithstanding anything contain in Section 132, the Council shall, subject to any general or special order which the State Government may make in this behalf, impose the user charges for the following services, namely:—

Imposition of user charges.

(a) a water charge for provision of water supply in respect of lands and buildings to which a water supply is furnished by Council;

(b) a drainage or sewerage charge where a system of drainage or sewerage disposal has been introduced;

(c) a charge for management of solid waste where the Council has introduced a system of disposal of waste;

(d) a charge for any other specified services rendered by the Council as may be specified.

(2) The user charge in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) shall be imposed—

(i) on buildings and lands which are exempted from property tax, at a rate as shall be determined by the Council;

(ii) on buildings and lands which are not exempted from property tax, as determined in clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) plus such percentage of the property tax, as shall be determined by the Council:

Provided that the user charge for water under clause (a) of sub-section (1) shall not be levied on building and land owned by freedom fighter during their life time, if they are exempted from Income Tax and the water connection is for domestic purpose and which does not exceed half inch connection.

(3) Notwithstanding anything contained in this chapter, the Council may impose upon properties specified in clause (a) of sub-section (2) of Section 127-A, all or any of the charges specified in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section

(1) at a rate in excess of the rate at which such charge is imposed, on other properties under the respective clauses, as the State Government may, by notification, specify.”

(4) In Section 339-A,—

(i) in sub-section (1), in clause (a), for the word “colony”, the words “colony or colonies” shall be substituted;

(ii) after sub-section (3), the following new sub-section shall be inserted, namely :—

“(4) Every person who has been issued the Registration Certificate under sub-section (2) shall become eligible to establish one or more colonies in the area of Municipal Council or Nagar Panchayat and shall not be required to apply for Registration Certificate in respect of every colony separately but it shall be mandatory for such person to obtain approval of layouts plans and all other approvals separately from the competent authority in respect of each colony.”

(5) In Section 339-B,—

(i) in sub-section (1), clause (iii) shall be deleted;

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1-a) In addition to reserving the developed plots or residential houses under sub-section (1), the colonizer shall also reserve at least ten percent fully developed plots of the prescribed size or in alternate offer constructed residential houses in his residential colony for the persons belonging to lower income group.”;

(iii) in sub-section (2), after the words “the economically weaker sections”, the words “and the lower income group” shall be inserted.

(6) In Section 339-C,—

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) Whoever commits or abets the commission of an offence of illegal diversion or illegal colonization shall be punished with an imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and the Court may, in passing the judgment in respect of any such offence, order the accused to pay to the Council, such amount of compensation as specified in the judgment, taking into consideration the amount required to be incurred towards the development of such illegal colony, and such offence shall be a cognizable offence.”;

(ii) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(5) Whoever commits an offence of illegal construction shall be punished with imprisonment of not less than three years and not more than seven years and with a minimum fine of ten thousand rupees, and such offence shall be cognizable offence.

(6) It shall be incumbent upon every colonizer to display correct information about the area (including the carpet area) of the housing units proposed for construction and facilities to be provided in a colony in all its advertisements published in the form of pamphlets, brochures, hoardings and in all communications to customers and shall explicitly mention the number and date of his Registration Certificate over it, and any violation of these provisions shall take such colonizer liable for punishment under sub-section (3) and sub-section (5).”.

(7) After Section 339-D, the following Section shall be inserted, namely:—

“339-DA. All the directors, promoters and financiers associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land along with the persons who commits or abets the commission of an offence of such illegal colonization or illegal diversion shall be held equally liable of committing such an offence and shall be punished under the provisions of Section 339-C.”.

Responsibility of persons associated in the act of illegal colonization or illegal diversion of land.